

12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
पुस्तकें 2, 3, 4, 5, 9, 10 के तलबाना
पेश करने हेतु वकील वादी को पाबन्द
रखा। पत्रावली वाले तलबाना फ़ाँक
22/4/24 को पेश हो।

22/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान्
पीठासीन अधिकारी महोदय, दोर में है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/24 को पेश हो।

8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान्
पीठासीन अधिकारी महोदय, दोर में है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/24 को पेश हो।

30/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान्
पीठासीन अधिकारी महोदय, दोर में है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/24 को पेश हो।

2/24 पत्रावली पेश हुई। आश्री वादी अनुपस्थित।
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कक-कक कर
आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उपस्थित
नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आर्डर
9 नियम 8 CPC अदम टाजरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैल
खुमार नम्बर से कम लेकर बाद तामिल
तकमील दाखिल दाखल होंगे।



उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला झालावाड़ (राज.)

